

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना सं. 37/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 2018

सां.आ. ....(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सा.आ. 723 (अ), दिनांक 3 मार्च, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. 17/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.) में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका और उसमें उल्लिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और निम्न के रूप में पढ़ा जाएगा:-

“सारणी

क्रम सं.	नोटिसी का नाम और पता	कारण बताओ नोटिस सं. और दिनांक	के प्रति जवाबदेह	नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मैसर्स फूलचंद एक्सपोर्ट, 3 शास्त्री नगर, अंगेरीपलायम रोड, तिरुपुर	फा. सं. INV/DGCEI/CB-दिनांक 20.06.2006	(1) सीमा शुल्क आयुक्त, कस्टम हाउस, तूतीकोरीन (2) सीमा शुल्क आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स, मुंबई (3) सीमा शुल्क आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स, चेन्नई	सीमा शुल्क आयुक्त, कस्टम हाउस, तूतीकोरीन”

[फा. सं. 437/02/2017-सीमाशुल्क IV]

(जुबेर रियाज कामिली)  
निदेशक (सीमाशुल्क)